भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 80*

26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष क्षेत्र की वृद्धि

*80. डॉ. अमर सिंह:

एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों, के दौरान देश में आयुष क्षेत्र में वर्ष-दर-वर्ष हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विशेष रूप से वन उत्पादों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कच्चे माल की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कच्चे माल की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार के पास आयुष क्षेत्र के भीतर विनियामक तंत्र को सरल और कारगर बनाने की लिए कोई ठोस कार्यनीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इन रिपोर्टों की जानकारी है कि आयुर्वेद के विरुद्ध अभियान चलाने से चिकित्सा पर्यटन सहित देश में आयुर्वेदिक क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 26 जुलाई, 2024 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 80* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): आयुष मंत्रालय ने शिक्षा, जन-स्वास्थ्य, आयुष दवा उद्योग और औषधीय पौधों सहित आयुष क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न पहल और कदम उठाए हैं। इसके अलावा, आयुष मंत्रालय ने "ए डिकेड ऑफ ट्रांसफॉरमेटिव ग्रोथ इन आयुष, 2014-2024" शीर्षक से एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। विवरण https://ayush.gov.in/images/annualReport/DecadeAyushReport.pdf पर उपलब्ध हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में आयुष क्षेत्र की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि निम्नानुसार है -

i. आयुष मंत्रालय का बजट

पिछले पांच वर्षों के दौरान, आयुष मंत्रालय के बजट आवंटन में वृद्धि की गई है जो इस क्षेत्र के महत्व की बढ़ती मान्यता को दर्शाता है। आयुष मंत्रालय को आवंटित बजट का वर्षवार विवरण इस प्रकार है-

वर्ष	**बजट आबंटन (करोड़ रुपए में)**
2019-20	1939.76 रुपए
2020-21	2122.08 रुपए
2021-22	2970.30 रुपए
2022-23	3050 रुपए
2023-2024	3647.50 रुपए

ii. आयुष अवसंरचना

देश में वर्ष 2018-2022 के दौरान आयुष अस्पतालों, बिस्तरों, औषधालयों और पंजीकृत चिकित्सकों (डॉक्टर्स) की कुल संख्या इस प्रकार है-

क्र.सं.	**सुविधा**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1.	अस्पताल	3,986	3,781	3,859	3,844	3,859
2.	बिस्तर	56,586	60,632	60,653	60,943	61,549
3.	औषधालय	27,199	29,091	29,951	36,848	37,385
4.	पंजीकृत चिकित्सक (डॉक्टर्स)	7,99,879	6,46,013	7,12,132	7,55,780	7,30,317

(स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें और संबंधित एजेंसियां)

iii. आयुष औषधि उद्योग

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, आयुष विनिर्माण उद्योग का आकार 1,37,800 करोड़ रुपये (18.1 बिलियन अमरीकी डालर) होने का अनुमान लगाया गया है, जो 7 वर्षों में 6 गुना वृद्धि है। इसी प्रकार, आरआईएस के प्रारंभिक अध्ययन से पता चलता है कि आयुष सेवा क्षेत्र में 1,66,797 करोड़ रुपये का राजस्व है। वर्ष 2018-2022 के दौरान देश में आयुष विनिर्माण इकाइयों की कुल संख्या (राज्य सरकारों/संबंधित एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार) इस प्रकार है -

	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
आयुष विनिर्माण इकाइयां	8,954	8,407	8,104	8,648	8,705

(स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें और संबंधित एजेंसियां)

इंडियन मेडिसिंस फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल) आयुष मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो आयुष क्षेत्र में आयुर्वेद और यूनानी दवाओं के विनिर्माण में लगा हुआ है। पिछले पांच वर्षों के दौरान आईएमपीसीएल का कारोबार निम्नानुसार है:

वर्ष	**कारोबार**
2018-19	86.83 करोड़ रुपए
2019-20	97.04 करोड़ रुपए
2020-21	164.02 करोड़ रुपए
2021-22	260.84 करोड़ रुपए
2022-23	223.23 करोड़ रुपए

iv. शिक्षा

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) अधिनियम, 2020 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) अधिनियम, 2020 को सितंबर, 2020 में अधिनियमित किया गया था। ये अधिनियम क्रमशः पुराने भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 और होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के स्थान पर लाए गए थे। पिछले पांच वर्षों में स्थापित आयुष कॉलेजों का वर्ष-वार ब्यौरा **संलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): आयुष क्षेत्र में कच्चे माल की कमी की कोई सूचना आयुष मंत्रालय को नहीं दी गई है। इसके अलावा, आयुष क्षेत्र में कच्चे माल की खेती के लिए सहायता देने हेतु, आयुष मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) ने 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 322.41 करोड़ रुपये के परिव्यय से, पूरे देश में "औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन की केंद्रीय क्षेत्र योजना" कार्यान्वित की है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, उक्त योजना के तहत 43.49 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस केन्द्रीय क्षेत्र योजना का उद्देश्य निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए परियोजना आधारित सहायता प्रदान करना है:

1. स्व-स्थाने संरक्षण/बाह्य-स्थाने संरक्षण
2. प्रशिक्षण/कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/सम्मेलन आदि जैसे सूचना, शिक्षा, संप्रेषण कार्यकलाप
3. अनुसंधान और विकास
4. औषधीय पादपों के उत्पादों का संवर्धन, विपणन और व्यापार
5. पौधशालाओं की स्थापना
6. औषधीय पादपों की आपूर्ति श्रृंखला में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज (एकीकृत घटक)

इस योजना के अंतर्गत, औषधीय पादपों की खेती बढ़ाने के लिए किसानों/उत्पादकों के विकास हेतु क्षेत्रीय सह सुविधा केन्द्रों (आरसीएफसी) को सहायता दी गई है। वर्ष 2017-18 से 2023-24 के दौरान आरसीएफसी के माध्यम से विकसित औषधीय पादपों की प्रजातियों की गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री (क्यूपीएम) का विवरण इस प्रकार है -

क्र.सं.	क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र (आरसीएफसी)	2017-18 से 2023-24 के दौरान विकसित क्यूपीएम के पौधों की संख्या
1.	आरसीएफसी (उत्तरी क्षेत्र-1)	14,32,566
2.	आरसीएफसी (उत्तरी क्षेत्र -2)	22,93,003
3.	आरसीएफसी (मध्य क्षेत्र)	4,92,624
4.	आरसीएफसी (पूर्वी क्षेत्र)	25,59,953
5.	आरसीएफसी (दक्षिणी क्षेत्र)	38,96,670

6.	आरसीएफसी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	25,39,263
7.	आरसीएफसी (पश्चिमी क्षेत्र)	10,47,794
	कुल	**1,42,61,873**

इसके अलावा, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) समय-समय पर मांग और आपूर्ति के अध्ययन के लिए सहायता देता है और वर्ष 2017 के दौरान इसने एक व्यापक सर्वेक्षण किया था तथा "मेडिसिनल प्लांट्स इन इंडिया: ऐन असेसमेंट ऑफ दियर डिमांड एंड सप्लाई" नामक एक पुस्तक संकलित की थी।

तथापि, अध्ययन के अनुसार परम्परागत भारतीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियां मुख्यत: वनों से एकत्र की गई जड़ी-बूटियों के कच्चे माल पर निर्भर हैं, जिनमें लगभग 85% प्रजातियां अलग-अलग किस्म की हैं तथा उपभोग की गई जड़ी-बूटियों की कच्ची औषधियों का 70% से अधिक भाग वनों से प्राप्त किया जाता है। 2014-15 में देश में जड़ी-बूटियों/औषधीय पादपों की वार्षिक मांग का अनुमान लगभग 5,12,000 मीट्रिक टन था। इसके अलावा, इस अध्ययन के अनुसार, लगभग 1178 औषधीय पादप प्रजातियों का व्यापार किया गया, जिनमें से 242 प्रजातियों का 100 मी टन प्रति वर्ष से अधिक का सबसे ज्यादा व्यापार हुआ। यह अध्ययन वर्ष 2017 में प्रकाशित हुआ था और www.nmpb.nic.in पर "मेडिसिनल प्लांट्स इन इंडिया: ऐन असेसमेंट ऑफ दियर डिमांड एंड सप्लाई, वेद एंड गोराया (2017)" शीर्षक के तहत उपलब्ध है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2023-24 (सांख्यिकी प्रभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय) के द्वितीय अग्रिम के अनुसार, 7,42,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर औषधीय एवं सुगंधित पादपों की खेती की गई और इनका 6,45,000 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ।

केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) का ऊटी, तमिलनाडु में होम्योपैथी औषधीय पादप अनुसंधान केंद्र (सीएमपीआरएच) है। यह संस्थान होम्योपैथी में उपयोग किए जाने वाले विदेशी और स्वदेशी पौधों के जर्मप्लाज्म की खेती, सर्वेक्षण, संग्रह और रखरखाव के कार्य में लगा हुआ है। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) के तहत तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के एमराल्ड में होम्योपैथी औषधीय पादप अनुसंधान केन्द्र (सीएमपीआरएच) होम्योपैथी में प्रयोग की जाने वाली 104 औषधीय पादप प्रजातियों (92 विदेशी और 12 स्वदेशी) के जर्मप्लाज्म का रख-रखाव और खेती कर रहा है।

केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस), सिद्ध औषधीय पादप उद्यान, मेत्तूर बांध के माध्यम से सीसीआरएस की फार्मेसी में सिद्ध फार्मूलेशनों के उत्पादन की मांग को पूरा करने और अनुसंधान एवं संबंधित प्रयोजन हेतु आपूर्ति के लिए औषधीय पादपों की खेती करती है।

(ग): आयुष मंत्रालय ने आयुष क्षेत्र में विनियामक तंत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) जैसा कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, 1945 में निर्धारित है, गुणवत्ता नियंत्रण एवं आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी तथा होम्योपैथी औषधियों के औषधि लाइसेंस जारी करने से संबंधित कानूनी प्रावधानों का प्रवर्तन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्य औषधि नियंत्रकों/राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों में निहित है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 158-ख में आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी औषधियों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु विनियामक दिशा-निर्देशों का प्रावधान है तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 85 (क से झ) में होम्योपैथी औषधियों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु विनियामक दिशा-निर्देशों का प्रावधान है।

(ii) वर्ष 2021 में आयुष मंत्रालय ने आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) के नाम से केंद्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित की है और इस योजना का पाँच वर्षों के लिए कुल वित्तीय आवंटन 122.00 करोड़ रुपए है। एओजीयूएसवाई योजना के घटक इस प्रकार हैं -

क. उच्च मानक हासिल करने के लिए आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन।

ख. भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी सहित एएसयू एंड एच औषधियों की भेषजसतर्कता।

ग. आयुष औषधियों के लिए तकनीकी मानव संसाधन और क्षमता वर्धन कार्यक्रमों सहित केंद्रीय और राज्य नियामक ढांचे को मजबूत करना।

घ. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसीआई) और अन्य संगत वैज्ञानिक संस्थानों और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के सहयोग से आयुष उत्पादों और सामग्रियों के मानकों के विकास और मान्यकरण/प्रमाणन के लिए सहायता।

(iii) आयुष मंत्रालय की केन्द्रीय योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में स्थापित आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) औषधियों के लिए भेषजसतर्कता केन्द्रों को भ्रामक विज्ञापनों पर निगरानी रखने और संबंधित राज्य विनियामक प्राधिकरणों को सूचित करने का अधिदेश दिया गया है। एक त्रिस्तरीय ढांचा स्थापित किया गया है जिसमें एक राष्ट्रीय भेषजसतर्कता समन्वय केंद्र (एनपीवीसीसी), मध्यवर्ती भेषजसतर्कता केंद्र (आईपीवीसी) और परिधीय भेषजसतर्कता केंद्र (पीपीवीसी) शामिल हैं। आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों के लिए राष्ट्रीय भेषजसतर्कता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय भेषजसतर्कता समन्वय केंद्र (एनपीवीसीसी) है। पीपीवीसी द्वारा नियमित अंतराल पर संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को आपत्तिजनक विज्ञापनों की सूचना दी जा रही है। इसके अलावा, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग विनियम, 2022 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विनियम, 2022 के अनुसार, सभी आयुष चिकित्सा पद्धतियों के लिए भेषजसतर्कता एक अनिवार्य घटक है। साथ ही, 115283 लाभार्थियों के साथ 1500 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	**जागरूकता कार्यक्रम**	**लाभार्थी**
2018	1	50
2019	54	800
2020	60	4300
2021	118	14659
2022	292	23510
2023	586	43396
2024	389	28568
कुल	**1500**	**115283**

(iv) भारत सरकार ने अपने अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) की स्थापना की है। पीसीआईएम एंड एच, आयुष मंत्रालय की ओर से आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) औषधियों/दवाओं के लिए फार्मूलरी विनिर्देश और भेषजसंहिता मानक निर्धारित करता है जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियम, 1945 के अनुसार इनमें शामिल एएसयू एंड एच औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण (पहचान, शुद्धता और शक्ति) का पता लगाने के लिए आधिकारिक सार-संग्रह के रूप में काम आते हैं और भारत

में विनिर्मित की जा रही एएसयू एंड एच औषधियों के उत्पादन के लिए इन गुणवत्ता मानकों का अनुपालन अनिवार्य है।

(v) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम), एनसीआईएसएम अधिनियम, 2020 के तहत गठित सांविधिक निकाय है। एनसीआईएसएम एक विनियामक निकाय है और इसने चिकित्सा शिक्षा, परीक्षा, डिग्री मान्यता, संस्था, अनुसंधान, नैतिकता और चिकित्सकों के पंजीकरण को विनियमित करने के लिए 15 विनियमों को अधिसूचित किया है। ये विनियम https://ncismindia.org/under-ncism-act-2020.php पर उपलब्ध हैं।

(vi) गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों द्वारा अपनाए जाने वाले मानकों के अनुपालन का आकलन करने के लिए 12 मार्च, 2024 को "राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (चिकित्सा संस्थानों का आकलन और रेटिंग) विनियम, 2024" अधिसूचित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान हैं:

- चिकित्सा संस्थानों की वार्षिक आधार पर रेटिंग और आकलन की प्रक्रिया।
- शिक्षा के न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में विफलता के लिए कॉलेजों पर जुर्माना लगाना/मान्यता रद्द करना।

इन विनियमों का विवरण https://nch.org.in/upload/Assessment-and-Rating-of-Medical-Institutions.pdf पर उपलब्ध है।

(vii) अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए, आयुष मंत्रालय ने दिनांक 01.10.2021 की बजट अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 716 (ई) के द्वारा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों से संबंधित 23 चिन्हित अनुपालनों को कम कर दिया है।

(घ) और (ङ): आयुष मंत्रालय और एनसीआईएसएम के तहत आचार एवं पंजीयन बोर्ड को विभिन्न संगठनों से विभिन्न पैथियों के चिकित्सकों द्वारा आयुर्वेद एवं अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की मानहानि के संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में मामले पर संज्ञान लेते हुए, संबंधित अधिकारियों से समय-समय पर कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

*****

संलग्नक-I

पिछले पांच वर्षों के दौरान स्थापित आयुष कॉलेजों का वर्ष-वार विवरण -

क. पिछले पांच वर्षों में स्थापित आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा कॉलेजों का वर्षवार विवरण इस प्रकार है -

	आयुर्वेद	**सिद्ध**	**यूनानी**	**सोवा -रिग्पा**
कॉलेजों की संख्या	150	06	03	03

ख. पिछले पांच वर्षों में स्थापित होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों का स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर स्वीकृत सीटों के साथ वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है -

क्र. सं.	**वर्ष**	**कुल कालेज**	**अनुमति प्राप्त नए कॉलेज**	**स्नातक-पूर्व सीटें**	**स्नातकोत्तर सीटें**
1.	2019-20	247	00	18537	1406
2.	2020-21	247	00	18537	1406
3.	2021-22	259	12	19407	1606
4.	2022-23	270	11	21473	1788
5.	2023-24	277	07	21965	2051